



2026:AHC-LKO:42291

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4855 वर्ष 2026

मुकेश पाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राहुल सिंह राणा

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश गिरहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे आगे 'अधिनियम 1986' कहा गया है) की धारा 2/3 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 124/2026, थाना- उन्चाहार, जिला - रायबरेली में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि आवेदक के खिलाफ गैंग चार्ट में एक मामला दर्ज है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किया गया है। इस मामले के अलावा, आवेदक का आपराधिक इतिहास भी है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

आगे यह निवेदन किया है कि आवेदक के विरुद्ध सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट और मनगढ़ंत हैं। यह भी निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण से स्पष्ट होता है कि आरोप लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित हैं, न कि नए आरोपों या तथ्यों की खोज पर, जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण से अधिनियम 1986 लागू किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उपयोग आवेदक को परेशान करने और डराने के लिए एक हथियार के रूप में कर रही है, और यह भी प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने या अच्छा काम दिखाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया है, जो अनावश्यक और अनुचित है।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने कहा कि आवेदक किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं है और वह किसी गिरावट का सदस्य या सरगना नहीं है।

आगे यह निवेदन किया है कि आवेदक 23.05.2026 से जेल में बंद है और वह अधिनियम 1986 के तहत अपराध का दोषी नहीं है। वह वचन देता है कि जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। अतः निवेदन है कि आवेदक जमानत का हकदार है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले (गैंग चार्ट के अलावा अन्य मामलों में) में आवेदक जमानत पर है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि आवेदक 23.05.2026 से जेल में बंद है और उसने अपने आपराधिक इतिहास का विवरण आवेदन के प्रस्तर 12 में दिया है तथा यह वचन दिया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अभियोग की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, अभियोग के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार को ध्यान में रखते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मुकेश पाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- 1) आवेदक विवेचना या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकती है;

(3) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, अभियोग निर्धारण और धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा; और

(4) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।